

23.10.24

23.10.24 मंत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
से उच्च-न्यायालय जोधपुर का स्थगन है। जिससे
प्रकरण से इस न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही
नहीं कि जा सकती है। ऐसी स्थिति में इतिराय प्रा.
मंत्र खारिज किया जाता है। मंत्रावली फॉसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

my